जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

क्रमांक :– 15 दिनांक :–01.02.2021

–::कार्यालय आदेश::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 136 दिनांक 23.12.2020 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद एवं ताल्लुका विधिक सेवा समितियों में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कुल 10 पैरालीगल वोलंटियर के लिए आवेदन आमंत्रित कर बाद जांच पूर्ण पाये गये आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक दिनांक 29.01.2021, 30.01.2021 जनवरी एवं 01 फरवरी, 2021 को लिये जाने के उपरान्त निम्न आवेदकों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों हेतु सूचीबद्ध (पैनलित) किया जाता है:–

क्रम संख्या	आवेदन क्रमांक	संयोजित किये गये पीएलवी का नाम	पिता का नाम	पंचायत समिति का नाम	मुख्यालय का नाम
01	58	श्री शुभम सेन	श्री अम्बालाल सेन	––	राजसमन्द
02	92	श्री हितेश वैष्णव	श्री नारायणदास वैष्णव	देलवाडा	नाथद्वारा
03	116	श्री राजकुमार मीणा	श्री भोलीराम मीणा	देलवाडा	
04	121	श्रीमती दीपिका पालीवाल	श्री राकेश पालीवाल	खमनोर	
05	18	श्री हेमराज बलाई	श्री मिठालाल बलाई	आमेट	आमेट
06	106	श्री चिराग मोहम्मद	श्री नसीर खां	आमेट	
07	54	श्री विकास छापरवाल	श्री श्रवण छापरवाल	आमेट	
08	77	श्री किशनदास वैष्णव	श्री भंवरदास वैष्णव	कुंभलगढ	कुंभलगढ
09	128	श्री सुरेश कुमार	श्री स्वरूपलाल	कुंभलगढ	
10	129	श्री अम्बासिंह खरवड	श्री बब्बरसिंह	कुंभलगढ	

पीएलवी निम्न नियमों के अनुसार कार्य करेंगे:–

1. पैरालीगल वोलेन्टीयर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थानों के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे। पैरालीगल वोलियन्टर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के निर्देशानुसार ही कार्य करेंगे।
2. पैरालीगल वोलेन्टीयर्स को कोई वेतन या पारितोषिक प्रदान नहीं किया जाएगा। पैरालीगल वोलेन्टीयर्स केवल समय–समय पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रतिदिन कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय ही प्राप्त कर सकेंगे।
3. पैरालीगल वोलियन्टर्स किसी भी व्यक्ति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय एवं तालुका विधिक सेवा समिति के नाम पर कोई भी राशि या अन्य लाभ प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उस पैरालीगल वोलियन्टर को बिना किसी पूर्व सूचना के सूची में से हटा दिया जाएगा।
4. पैरालीगल वोलियन्टर्स को जारी किये जाने वाले परिचय पत्र का पैरालीगल वोलियन्टर्स द्वारा किसी भी तरह से दुरूपयोग किया जाता है तो उस पैरालीगल वोलियन्टर को बिना किसी पूर्व सूचना के सूची में से हटा दिया जाएगा। यह परिचय पत्र किसी भी सरकारी संस्थान में छुट, टोल रियायत या अन्य अवैध कार्यो के लिये उपयोग किया जाने पर उस पैरालीगल वोलियन्टर को बिना किसी पूर्व सूचना के सूची में से हटा दिया जाएगा।
5. पैरालीगल वोलिन्टर्स का कार्यकाल दिनांक 31.12.2021 तक के लिये पूर्णतया अस्थायी आधार पर किया गया है। लेकिन किसी भी पैरालीगल वोलियन्टर्स का कार्य सन्तुष्टि प्रद नहीं होने पर या किसी भी तरह से योग्य नहीं पाए जाने पर बिना किसी सूचना के सूची में से हटाया जा सकेगा।
6. नियुक्त पैरा लीगल वालेन्टियर्स राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विधिक सेवा कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, केन्द्र व

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन से संबंधित कार्य संपादित करेंगे।

7. नियुक्त पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार/नियमानुसार मानदेय देय होगा।

चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी) :

1– समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

2– आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत, मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

3– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, वृद्धाश्रम, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बालकों के अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।

7– वैकल्पिक रूप से विवादों का निस्तारण, प्रिलीटीगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, पीडित प्रतिकर स्कीम के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।

9– पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जनकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है।

10– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध करवाई गई सामग्री को आमजन में वितरित करना।

11– विधिक सेवा सप्ताह, वृहद विधिक सेवा शिविर, मोबाईल वेन, राष्ट्रीय लोक अदालत, पंचायत समिति क्लिनिक, जेल क्लिनिक आदि पर विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में पी.एल.वी. की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द

क्रमांकः–जि.वि.से.प्रा./2021/ 385 to 401 दिनांकः–01.02.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सहायता समिति, नाथद्वारा/आमेट/कुंभलगढ।
3. श्री..., पैरा लीगल वॉलेन्टियर
4. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा
6. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द की वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
राजसमन्द